राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ० आरोपी अनुपस्थित।

प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी मिथुन को जारी गिरफतारी वारंट के पालन में गिरफतारी वारंट मय फरारी पंचनामा के साथ फरारी साक्ष्य हेतु आरक्षी केन्द्र भरवेली जिला बालाघाट से प्रधान आरक्षक शिवदयाल पटले क0 569 उपस्थित्र

अवलोकन्
किया प्रकरण का अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि आरोपी मिथ्रन दिनांक 30.01.17 को अनुपस्थित था उसकी ओर से अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हुये इस कारण उसके जमानत मुचलके निरस्त कर उसके विरुद्ध गिरफतारी वारंट जारी किया गया था। आरोपी अनुपस्थित है। आरोपी के विरूद्ध बार-बार गिरफतारी वारंट जारी किये जाने के बाद भी उसकी उपस्थिति स्निश्चित नही हो पा रही है। आरोपी के विरूद्ध जारी गिरफतारी वारंट प्रधान आरक्षक शिवदयाल पटले आरोपी के फरार होने के पंचनामा सहित अदम तामील लेकर उपस्थित ह्ये।

उपस्थित साक्षी प्रधान आरक्षक शिवदैयाल पटले की फरारी साक्ष्य लेखबद्ध की गई। फरारी पंचनामा को क्रमशः आर्टिकल –ए अंकित किया गया। साक्षी को साक्ष्य उपरांत उन्मुक्त किया गया। फरारी सक्ष्य एवं गिरफतारी वारंट व फरारी पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी सिथुन दर्शित पते पर निवासरत नहीं है, न ही उसका कोई स्थाई व निश्चित पता अभियोजन को ज्ञात है। अतः आरोपी मिथुन पिता दुर्गाप्रसाद वोन्देकर उम्र 25 केशला बरघाट जिला सिवनी स्थाई रूप से फरार घोषित किया जाता है। आरोपी के विरूद्ध स्थाई गिरफतारी वारंट जारी किया जावे।

प्रकरण में आरोपी फरार है, प्रकरण के टाईटल पेज पर लाल स्याही से मोटे अक्षरो में सुरक्षित रखे जाने कि टीप अंकित कर परिणाम दर्ज कर

27-10-2017

